



डजिटल इंडिया भाषिनी

प्रलिम्स के लिये:

डजिटल इंडिया भाषिनी, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, MSME, ग्राम पंचायत, ऑप्टिकल फाइबर।

मेन्स के लिये:

भारत का डजिटल इंडिया वज़िन, प्रौद्योगिकी मशिन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, डजिटल सरकार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने **डजिटल इंडिया भाषिनी-भारत के लिये भाषा इंटरफेस (BHASHINI- BHASHa INterface for India)** हेतु रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ एक वचिर-मंथन सत्र आयोजित किया।

- सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप के नवाचार, विकास और प्रौद्योगिकी की खपत को एकीकृत करना है।

डजिटल इंडिया भाषिनी:

परचिय:

- डजिटल इंडिया भाषिनी भारत का **आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
- एक भाषिनी प्लेटफॉर्म आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)** संसाधनों को **MSME (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम)**, स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।
- भाषिनी प्लेटफॉर्म **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मशिन** का हिस्सा है।
 - इस मशिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे-जैसे और अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े, वे अपनी भाषाओं में वैश्विक सामग्री का उपयोग करने में सक्षम हों।

महत्त्व:

- डजिटल समावेश:**
 - यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में देश की डजिटल पहल से जोड़कर सशक्त करेगा जिससे डजिटल समावेशन की ओर अग्रसर हो सकें।
 - यह **स्टार्टअप की भागीदारी** को भी प्रोत्साहित करेगा।
- डजिटल सरकार:**
 - मशिन केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और स्टार्टअप के पारस्थितिकी तंत्र** की स्थापना व पोषण करेगा, साथ ही भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों तथा सेवाओं को विकसित एवं स्थापित करने के लिये सहयोग करेगा।
 - डजिटल सरकार** के लक्ष्य को साकार करने के लिये यह एक बड़ा कदम है।
- भारतीय भाषाओं में वषिय-वस्तु का वसितार:**
 - इसका उद्देश्य जनहति, विशेष रूप से शासन और नीति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में वषिय-वस्तु को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है ताकि **नागरिकों को अपनी भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित** किया जा सके।

डजिटल इंडिया वज़िन के लिये भारत की पहल:

डजिटल इंडिया कार्यक्रम:

- डजिटल इंडिया** का उद्देश्य विकास के नौ स्तंभों जैसे- ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई-क्रांति: सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण, नौकरियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, अरली हार्वेस्ट कार्यक्रम पर बल देता है।

- **डजिटल उद्यमता:**
 - पूरे भारत में 3.7 लाख **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** की स्थापना ने ग्रामीण क्षेत्रों में डजिटल उद्यमता को प्रोत्साहित किया है और आम आदमी के लिये डजिटल सेवाओं तक बेहतर पहुँच बनाई है।
- **डजिटल सेवाएँ:**
 - ई-अस्पताल, **भीम-UPI**, ऑनलाइन छात्रवृत्ति, **डजिलॉकर**, उमंग एप, **ई-कोर्ट**, टेली लॉ, **ई-वे बलि** आदि जैसी डजिटल सेवाओं के परिणामस्वरूप नागरिकों के लिये जीवनयापन की सुगमता में सुधार हुआ है।
- **आधार (UID-Aadhaar):**
 - भारत 129 करोड़ **आधार** धारकों के साथ दुनिया में एक अद्वितीय डजिटल पहचान के मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।
- **इंडिया स्टैक:**
 - **इंडिया स्टैक** 'प्लेटफॉर्म' और 'एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (APIs) का एक समूह है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप तथा डेवलपर्स को एक अद्वितीय डजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि भारतीय समस्याओं को भौतिक उपस्थिति रहित, कागज़ रहित और कैशलेस सेवा वितरण के माध्यम से हल किया जा सके।
- **राष्ट्रीय डजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR):**
 - सरकार ने डजिटल प्राथमिकता के संदर्भ में एक राष्ट्रीय डजिटल शैक्षिक वास्तुकला की स्थापना की घोषणा कर शिक्षा के लिये देश के डजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने पर अधिक जोर दिया है, जहाँ डजिटल वास्तुकला न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करेगी बल्कि यह केंद्र एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करेगी।
- **राष्ट्रीय डजिटल स्वास्थ्य मशिन (NDHM):**
 - इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने के लिये आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास करना है।
- **डजिटल इंडिया भाषिणी:**
 - यह भारत का आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित भाषा अनुवाद मंच है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।

यू.पी.एससी. सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतित्त ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- डजिटल इंडिया को 7 अगस्त, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारों के सभी स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा किया जा रहे समग्र समन्वय के साथ लागू किया जाना है।
- **प्रत्येक नागरिक के लिये डजिटल अवसरचना एक मुख्य उपयोगिता के रूप में:** नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति के लिये एक मुख्य उपयोगिता के रूप में उच्च गति युक्त इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। **अतः कथन 3 सही है।**
- इसमें विदेशी बहुराष्ट्रीय नगियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्वयं की इंटरनेट कंपनियों और नीतित्त ढाँचे की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना कर वृहत् मात्रा में आँकड़े एकत्र कर सकें। **अतः कथन 1 और 2 सही नहीं हैं।**

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या नष्ट नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- UIDAI को भारत के सभी नविसयों को एक 12-अंकीय वशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृत के लिये उत्तरदायी है। मश्रति या वषिम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नषिक्रयि किया जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि किया जा सकता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-india-bhashini>

